

प्रेषक,

पी०सी० शर्मा,  
प्रमुख रायिव  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
संस्कृत शिक्षा विभाग,  
उत्तराखण्ड देहरादून।

माध्यमिक/संस्कृत शिक्षा अनुभाग-4

देहरादून: दिनांक २६ अप्रैल, 2011

विषय- संस्कृत विद्यालयों की मान्यता एवं परीक्षाओं के लिए उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद की स्थापना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1520/परीक्षा परिषद/2010-11, दिनांक 30 जून, 2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य में संस्कृत शिक्षा की परीक्षाओं की सूचिता, शैक्षिक गुणवत्ता, प्रभावी मूल्यांकन की व्यवस्था तथा मान्यता/सम्बद्धता प्रदान किए जाने एवं परीक्षाओं का आयोजन किए जाने हेतु उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद की स्थापना किए जाने की महामहिम राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद द्वारा निम्नलिखित कार्य सम्पादित किए जायेंगे:-
  - (1) प्राथमिक से उत्तर मध्यमा पर्यन्त (कक्षा 01 से 12 स्तर) तक संस्कृत विद्यालयों की मान्यता/सम्बद्धता प्रदान किया जाना।
  - (2) प्राथमिक से उत्तर मध्यमा पर्यन्त (कक्षा 01 से 12 स्तर) तक की परीक्षा एवं परीक्षा मूल्यांकन।
  - (3) प्राथमिक से उत्तर मध्यमा पर्यन्त (कक्षा 01 से 12 स्तर) तक की कक्षाओं हेतु पाठ्यक्रम निर्धारण तथा पाठ्यपुस्तकों का प्रकाशन।
  - (4) संस्कृत विद्यालयों में कार्यरत आचार्यों/प्राचार्यों को प्रशिक्षण प्रदान कराया जाना।
  - (5) संस्कृत भाषा, संस्कृत विद्यालयों एवं संस्कृत विद्यार्थियों के सामयिक विकास हेतु रूचि उत्पन्न करने से सम्बन्धित कार्य करना।
3. निदेशक, उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा विभाग इस परिषद के पदेन सभापति होंगे। परिषद का स्वरूप निम्नवत् है:-

क्र०सं०	पद नाम	वेतनमान (रूपये में)	पदों की सं०
	सभापति	निदेशक, संस्कृत शिक्षा-पदेन	-
1.	सचिव-1	15600-39100 ग्रेड पे-6600	01
2.	उप सचिव	15600-39100 ग्रेड पे-5400	01
3.	कनिष्ठ सहायक/डाटा एन्ट्री आपरेटर	आउटसोर्सिंग	05
4.	चतुर्थ श्रेणी	आउटसोर्सिंग	02
	योग-		09

4. परीक्षा से सम्बन्धित सीजनल कार्य के लिए अतिरिक्त लेबर की व्यवस्था उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अनुसार ठेके पर करायी जायेगी।
5. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2011-12 के अनुदान संख्या-11 आयोजनागत के अधीन लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा-05-भाषा विकास-103-संस्कृत शिक्षा-08-उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद का गठन के अर्न्तगत सुसंगत मानक मदों के नामे खाला जायेगा।
6. आदेश वित्त विभाग के अशा० संख्या-06(P)XXVII(3)/2011-12, दिनांक 21 अप्रैल, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,


(पी०सी० शर्मा)  
प्रमुख सचिव।

संख्या-सं०-३४ (1)/XXIV-4/2011, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. गण्डलायुक्त, कुमायूं गण्डल एवं गढ़वाल गण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
4. निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. कोषाधिकारी, देहरादून।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर नैनीताल।
10. निजी सचिव, मुख्यमंत्री को मा० मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
11. निजी सचिव, संस्कृत शिक्षा मंत्री को मा० मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
12. एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर।
13. प्रभारी, मीडिया, सचिवालय परिसर।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

  
(कवीन्द्र सिंह)  
अनु सचिव।